

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांक :- 6ए0/ज0गु0-101/2016- 01(मा0)

पटना - 15, दिनांक :- 04/05/2018

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,  
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषय - वर्ष 2018-19 में राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों/बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (फ्लोराईड प्रभावित) निश्चय-योजना के कार्य हेतु 446.00 लाख रुपये (चार करोड़ छियालीस लाख रुपये) मात्र की विमुक्ति।

राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों/ बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना हेतु विभागीय पत्रांक-6/ग्रा0ज0-1-101/16- 691, दिनांक-03.03.2016 द्वारा 7439.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

क्र.	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	मिनी जलापूर्ति योजनाओं की संख्या	विमुक्त राशि (लाख रुपये में)			शब्दों में
				सामान्य	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भागलपुर	भागलपुर पश्चिम	100	226.00	120.00	346.00	तीन करोड़ छियालीस लाख रुपये मात्र।
2	मुँगेर	मुँगेर	55	70.00	30.00	100.00	एक करोड़ रुपये मात्र।
कुल			155	296.00	150.00	446.00	चार करोड़ छियालीस लाख रुपये मात्र।

2. राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों/ बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना हेतु सामान्य मद से 296.00 लाख रुपये तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मद से 150.00 लाख रुपये अर्थात् कुल 446.00 लाख रुपये (चार करोड़ छियालीस लाख रुपये) मात्र को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के राज्यांश मद में जमा राशि से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. अनुरोध है कि राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों/ बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (फ्लोराईड प्रभावित) निश्चय योजना के कार्य हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में राज्यांश मद की हस्तान्तरित राशि से कार्यपालक अभियंता, भागलपुर पश्चिम तथा मुँगेर को स्तम्भ-7 के सामने अंकित राशि बैंक खाते के माध्यम से विमुक्त की जाय।

*Sanishma*  
4.5.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापक - 6ए0/ज0गु0-101/2016- 01(मा0)

पटना - 15, दिनांक :- 04/05/2018

प्रतिलिपि -कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम तथा मुँगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- (i) बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत राज्यांश मद के बैंक खाता के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा।
- (ii) इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हाल में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
- (iii) इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

*Sanishma*  
4.5.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक - 6ए0/ज0गु0-101/2016- 01(नमो)

पटना - 15 दिनांक :- 04/05/2018

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता(ना0) के प्रावैधिक सचिव/ विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) /कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त दो प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा पदाधिकारी - 4 / 6 / कार्यवाह सहायक, प्रशाखा-6/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर/ भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Sanishree*  
4.5.18  
(सतीश चन्द्र मिश्र)  
अभियन्ता प्रमुख

*Sanishree*